

संख्या: 475 /XXVIII-2/15-01(120)2008

५०-२७

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड।

### चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २५ मई, 2015

**विषय:** दिनांक-01 जनवरी, 2015 के बाद मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी को विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् राज्य में चिकित्सकों की उक्त कमी को पूर्ण करने एवं विशेषकर पी०एम०एच०एस० एवं दन्त शल्यक संवर्ग के चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों हेतु राजकीय सेवा की ओर आकर्षित किये जाने हेतु विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू किया गया है।

02. अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड के पी०एम०एच०एस० संवर्ग एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड निकिता एवं रवारथ्य रोवा नियमावली, 2014 में प्राविधानित पदोन्नति सोपान के दृष्टिगत् 04, 09, 13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर रान्पोषजनक सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः ग्रेड वेतन 6600, 7600, 8700 एवं 8900 ग्रेड वेतन के पदोन्नत वेतनमान दिनांक-01 जनवरी, 2015 के बाद मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों को निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. योजना का लाभ चिकित्साधिकारी के सेवा में प्रवेश पर प्रथम नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् देय होगा।

2. स्थानान्तरण नीति 2014 के क्रम में वर्णित सुगम तथा दुर्गम के अनुसार 20 वर्ष की सेवा पर दिये जाने वाला ग्रेड वेतन तभी देय होगा, जब सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा 20 वर्ष की सेवा में से 05 वर्ष की सेवा पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र में की गई हों।
3. चिकित्साधिकारी को सम्पूर्ण सेवावधि में क्रमशः 04, 09, 13, एवं 20 वर्ष की सेवा पर ग्रेड वेतन रु0 6600, 7600, 8700 व 8900 देय होंगे।
4. चिकित्साधिकारी की प्रथम पदोन्नति न होने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन, कोई पदोन्नति न होने परन्तु प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं इसी प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ स्तरोन्नयन प्रदान किया जायेगा।
5. सेवा में 01 पदोन्नति प्राप्त करने, परन्तु किसी स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त न करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं इसी प्रकार 02 पदोन्नति प्राप्त करने पर तृतीय तथा 03 पदोन्नति प्राप्त करने पर चतुर्थ वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किया जायेगा।
6. सेवा में पूर्व से ही 04 वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त चिकित्साधिकारी को किसी स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं होगा।
7. वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान करने हेतु विभाग में अध्यक्ष एवं 02 सदस्यों की स्कीनिंग कमेटी गठित की जायेगी। स्कीनिंग कमेटी का सदस्य शासन के अनुसार एवं सचिव, स्तर एवं अध्यक्ष का सदस्यों से एक स्तर ऊपर का अधिकारी होगा।
8. स्कीनिंग कमेटी अंतिम निर्णय के लिए अपनी आख्या समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान करने हेतु समुचित प्राधिकारी संबंधित चिकित्साधिकारी की पदोन्नति हेतु निर्धारित प्राधिकारी के समान होगा।
9. स्कीनिंग कमेटी वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु पदोन्नति के समान ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर निर्णय लेते हुए स्तरोन्नयन प्रदान करने की संस्तुति करेंगी।
10. पी०ए०ए०ए०ए०स० सर्वंग के चिकित्सकों एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को 4, 9, 13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः ग्रेड वेतन रु0 6600, 7600, 8700 एवं 8900 पर एस०डी०ए०सी०पी० का लाभ उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य कर दिया जायेगा।
11. विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुमन्य विशेषज्ञ भत्ता पूर्व की भौति इस शर्त के अधीन देय होगा कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक क्लीनिकल कार्य देख रहे हैं, उन्हीं को

विशेषज्ञ भत्ता अनुमन्य होगा एवं जो विशेषज्ञ चिकित्सक प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करेंगे, उन्हें विशेषज्ञ भत्ता अनुमन्य कहा जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अधीनसंकीर्त संख्या-371/XXVII(7)/2015,

03.

दिनांक-22 मई, 2015 में पाल नामकी समस्ती से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
*Omkar Joshi*  
(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।  
C/C

संख्या 1/11 (1)/XXVIII-2/15-01(120)2008, तददिनांक।

विभागीय विभागीयता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संज्ञानार्थी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निर्मल सरिन, नाइ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माठ मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निर्मल सरिन, नाइ मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को माठ मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. निर्मल सरिन, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. निर्मल सरिन, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. अध्यक्ष/महासचिव, प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संघ, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक।
15. निदेशक, एनोआई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

*Anil Joshi*  
(अनिल जोशी)

% अनु सचिव।

*RC JOSHI, RO*  
22/5/2015

1241 | 2018

संख्या: ६५४ /XXVIII-2/2016-01(120)/2008

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

## महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड |

चिकित्सा अनुभाग-2

विषयः

देहरादून: दिनांक 14 जुलाई, 2016  
ग-2 मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को विशेष डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

**महोदय,** उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों तथा राज्य में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत व्यापक जनहित में सज्ज के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में निहित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तिय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के समस्त कार्यरत चिकित्साधिकारियों को विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या:-475 / XXVIII-2 / 15-01 (120) / 2008 दिनांक 25 मई, 2015 को अतिक्रमित करते हुये दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन(SDACP) योजना उत्तराखण्ड के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग एवं दन्त शल्यक सेवा के संवर्ग समस्त चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 में प्राविधानित पदोन्नति सोपान के दृष्टिगत 04, 09, 13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः ग्रेड वेतन ₹ 6600, ₹ 7600, ₹ 8700 एवं ₹ 8900 के पदोन्नत वेतनमान मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों को निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1) एस० डी० ए० सी० पी० निम्नानुसार पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा करने के उपरान्त अनुमन्य होगी। उक्त अवधि में अवकाश की गणना नहीं की जायेगी :-

क्रम	एस0डी0ए0सी0पी0 अर्हकारी आवश्यक सेवावधि (मौलिक नियुक्ति के पश्चात)	हेतु वेतनमान	अनुमन्य उच्चतर क्षेत्र में आवश्यक सेवा	पर्वतीय / दुर्गम वर्ष
1.	04 वर्ष (प्रथम स्तरोनयन)	₹ 6600/-	02 वर्ष	
2.	09 वर्ष (द्वितीय स्तरोनयन)	₹ 7600/-	05 वर्ष	
3.	13 वर्ष (तृतीय स्तरोनयन)	₹ 8700/-	07 वर्ष	
4.	18 वर्ष (उच्चर्थ ज्ञानोनयन)	₹ 8900/-	09 वर्ष	

2) उपरोक्तानुसार जो चिकित्सक एस0डी0ए0सी0पी0 हेतु निर्धारित आवश्यक अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण करते हैं, परन्तु पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र की अर्हकारी सेवा का प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करते हैं, उनके द्वारा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा पूर्ण कर लिये जाने पर यह लाभ अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में वेतन आदि के ऐरियर का भुगतान उक्तानुसार पात्रता पूर्ण करने की तिथि के तत्काल पश्चात् एकमुश्त कर दिया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एस0डी0ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के पूर्व अनुमन्य नहीं हो सकता है।

3) एस0डी0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में किसी अधिकारीविशेष के प्रकरण की अपवादिक स्थिति में जो इस शासनादेश के मूल प्राविधानों से असंगत न हो, प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन   | -अध्यक्ष। |
| 2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन                                | -सदस्य।   |
| 3. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन                              | -सदस्य।   |
| 4. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन | -सदस्य    |

इस समिति की अनुशंसा के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से उच्चादेशोंपरान्त शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।

- 4) चिकित्सकों को अनुमन्य पर्वतीय/दुर्गम भत्ते की दरों को संशोधित करते हुये दुर्गम क्षेत्रों के लिये मूल वेतन का 10 प्रतिशत एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों का गिरावण पृथक से किया जायेगा।
- 5) गोपना का लाभ चिकित्साधिकारी के सेवा में प्रवेश पर प्रथम नियुक्ति उनके कार्यभार पर्वतीय किये जाने के पश्चात् देय होगा।
- 6) चिकित्साधिकारी की प्रथम प्रदोन्नति न होने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन, कोई पर्वतीय प्रदोन्नति न होने परन्तु प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं तृतीय प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ स्तरोन्नयन प्रदान किया जायेगा।
- 7) गोपना में 01 प्रदोन्नति प्राप्त करने, परन्तु किसी स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त न करने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं इसी प्रकार 02 प्रदोन्नति प्राप्त करने पर तृतीय तथा 03 पर्वतीय प्रदोन्नति प्राप्त करने पर चतुर्थ वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- 8) गोपना में पूर्व से ही 04 पदोन्नतियां प्राप्त चिकित्साधिकारियों को एस0डी0ए0सी0पी0 भागशाली के अन्तर्गत किसी प्रकार के वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं होगा।
- 9) वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान करने हेतु विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित हो जायेगी, जिसमें वरिष्ठतम् निदेशक एवं शासन के अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।
- 10) गोपना कमेटी अंतिम निर्णय के लिए अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी।
- 11) गोपना कमेटी वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु पदोन्नति के समान ही वार्षिक गोपनीय भागशालीयों के आधार पर निर्णय लेते हुए स्तरोन्नयन प्रदान करने की संस्तुति करेगी।

12) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुमन्य विशेषज्ञ भत्ता पूर्व की भाँति इस शर्त के अधीन देय होगा कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक कलीनिकल कार्य देख रहे हैं, उन्ही को विशेषज्ञ भत्ता अनुमन्य होगा एवं जो विशेषज्ञ चिकित्सक प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करेंगे, उन्हें विशेषज्ञ भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3:- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-691/XXVII (7)/2015, दिनांक-14 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
*Mukesh*

(ओम प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

संख्या:- 656 (1)/XXVIII-2/16-01(120)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायू/गढ़वाल मण्डल।
- 3- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक।
- 10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 11- निजी सचिव, मा० स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 12- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 13- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 14- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक।
- 15- अध्यक्ष/महासचिव, प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संघ, उत्तराखण्ड।
- 16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
*Anil Joshi*  
(अनिल जोशी)  
अनुसचिव।

१५/६/१६  
15/6/16

संख्या: ६४/XXVIII-2-2017 / 02(01)2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक १५ मई, 2017

विषय: उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस०/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा अध्ययन हेतु नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य में ऐलोपैथिक चिकित्सा से सम्बन्धित पी०एम०एच०एस०/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों के अधिकांश पद वर्तमान में रिक्त हैं। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है। वर्तमान में पी०एम०एच०एस०/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को पी०जी० अध्ययन हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-146'क' के प्राविधानान्तर्गत 02 वर्ष के अध्ययन हेतु अवकाश अर्द्ध औसत वेतन पर दिया जाता है। पी०जी० डिग्री कोर्स सामान्यतः 03 वर्षीय व डिप्लोमा कोर्स 02 वर्षीय हैं। ऐसे में 03 वर्षीय पी०जी० अध्ययन अवधि में से वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानानुसार, 02 वर्ष हेतु अर्द्ध औसत वेतन पर अध्ययन अवकाश में से एवं 01 वर्ष हेतु असाधारण/अवैतनिक अवकाश (बिना वेतन का अवकाश) स्वीकृत किया जाता है।

2. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी०जी० अध्ययन हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष चयनित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सकों को पी०जी० अध्ययन संख्या-335/चि-2-2002/169/2002, दिनांक 14 अगस्त, 2002 द्वारा की गयी। उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीटों के सापेक्ष चयनित उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सकों को पी०जी० अध्ययन अवधि में ऑन डिग्री मानते हुए, पूर्ण वेतन भत्ते प्रदान किये जाने की व्यवस्था वर्तमान तक लागू है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी०एम०एच०एस०/दन्त संवर्ग के चिकित्सकों की पी०जी० डिग्री कोर्सेज अवधि सामान्यतः तीन वर्षीय होने के कारण किसी भी मेडिकल कॉलेज में उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस०/दन्त संवर्ग के पी०जी० पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले चिकित्सकों को अर्द्ध औसत वेतन पर अनुमन्य 02 वर्ष की अवधि के अध्ययन अवकाश को बढ़ाकर 03 वर्ष किया जाता है।


4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस०/दन्त संवर्ग के समस्त चिकित्सकों हेतु एक समान व्यवस्था लागू किये जाने के उद्देश्य से, शासनादेश संख्या-335/चि-2-2002/169/2002, दिनांक 14 अगस्त, 2002 एवं इसी संदर्भ में पी०जी०/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्गत अन्य शासनादेशों को एतद्वारा अतिक्रमित करते

हुए, राज्य के मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सकों को पी0जी0 अध्ययन अवधि में वेतन/भत्ते एवं अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-437/2015, 176/2015, 462/2015 एवं 546/2015 में पारित निर्णय के आलोक में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:-

- i. उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के सभी चिकित्सकों को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-146 'क' एवं 157 'क' के प्राविधानों के अनुसार ही अध्ययन अवकाश यथा प्रक्रिया स्वीकृत किया जाय। उक्त अवकाश 3 वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।
- ii. उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सकों की कमी विशेषतः विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत् मौलिक रूप से नियुक्त समस्त पी0एम0एच0एस0 एवं दन्त संवर्ग के चिकित्सकों को पी0जी0 अध्ययन हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
- iii. केवल क्लीनिकल कोर्सेज हेतु ही अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
- iv. ऐसे पी0एम0एच0एस0/दन्त संवर्ग के चिकित्सक जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पी0जी0 कोर्स प्राप्त करने हेतु अनुमति दी जायेगी उन्हें पी0जी0 कोर्स हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व पी0जी0 कोर्स समाप्ति के उपरान्त, 05 वर्षों तक पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों में अनिवार्य रूप से कार्य किये जाने सम्बन्धी विधिक रूप से मान्य शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग देनी होगी। सम्बन्धित चिकित्सक, महानिदेशक, चिकित्सा स्वारक्ष्य के साथ यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करेंगे एवं इस पूर्ण प्रक्रिया हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वारक्ष्य पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- v. उक्त शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग में यह व्यवस्था की जायेगी कि अनुबन्ध का उल्लंघन किये जाने पर, सम्बन्धित चिकित्सक से पी0जी0 कोर्स पर किया गया व्यय तथा प्रतिशपथ-पत्र में वर्णित 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि में से, अवशेष अवधि के वेतन सहित सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी।
- vi. ऐसे चिकित्सक जिन्हें पी0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु अनुमति दी जायेगी, यदि उनके द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण नहीं किया जाता या वे पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने में किसी कारण से असमर्थ रहते हैं तो उनसे, उन्हें दिया गया सम्पूर्ण वेतन एवं भत्ते वसूल किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-172/xxvii(7)/2017, दिनांक 19.05.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,




(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

राख्या: ६४/ XXVIII-2 / 02(01)2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अनुबाग-3/7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अनिल जोशी)  
अनु सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन**  
**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1**  
**संख्या—458 /XXVIII-1/21-01(06)2020 टी०सी०**  
**देहरादून : दिनांक २७ अप्रैल, 2021**

अधिसूचना संख्या— 45८ /XXVIII-1/21-01(06)2020, दिनांक २७ अप्रैल 2021 द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (‘द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2021” की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया “उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (‘द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021” की अधिसूचना(हिन्दी एवं अंग्रेजी) को आगामी गजट (असाधारण) में प्रकाशित करवाते हुए अधिसूचना की 150 प्रतियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमौर घट्टल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एम्स, ऋषिकेश।
12. प्राचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
13. अधिशासी निदेशक, एन०आइ०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

४/

(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)  
 सचिव।

२

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—१  
संख्या—४५७/XXVIII—१/२१—०१(०६)२०२० टी०सी०  
देहरादून: दिनांक २७ अप्रैल, २०२१

अधिसूचना

राज्यपाल, महामारी अधिनियम, १८९७(अधिनियम संख्या ३ सन् १८९७) की धारा २ तथा धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-१९ विनियमावली, २०२० में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-१९(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, २०२१

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम<br>और प्रारम्भ | 1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड महामारी कोविड-१९(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, २०२१ है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।                           |
| विनियम १९-ख का<br>संशोधन     | 2. उत्तराखण्ड महामारी कोविड-१९ विनियमावली, २०२० में नीचे स्तम्भ-१ में दिये गये विद्यमान विनियम १९-ख(१) में स्तम्भ-२ में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- |

**स्तम्भ-१**

**विद्यमान विनियम**

- विनियम १९-क(१) के उल्लंघन पर शमन धनराशि :-
- (i) प्रथम बार के उल्लंघन पर रु० २००(दो सौ रुपये मात्र);
  - (ii) द्वितीय बार के उल्लंघन पर रु० ५००(पांच सौ रुपये मात्र);
  - (iii) तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर रु० १०००(एक हजार रुपये मात्र)
  - (iv) प्रयोग किये गये मुखावरण(मास्क) के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थान/रैड बॉक्स, से इतर अथवा अन्यत्र फेंकने पर रु० ५०० (पांच सौ रुपये मात्र)

उक्त विनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से शमन की धनराशि वसूल करने के उपरान्त पुलिस एवं अन्य अधिकृत विभाग के द्वारा चार(०४) मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

**स्तम्भ-२**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम**

- विनियम १९-क(१) के उल्लंघन पर शमन धनराशि :-
- (i) प्रथम बार के उल्लंघन पर रु० ५००( पाँच सौ रुपये मात्र);
  - (ii) द्वितीय बार के उल्लंघन पर रु० ७००(सात सौ रुपये मात्र);
  - (iii) तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के उल्लंघन पर रु० १०००(एक हजार रुपये मात्र)
  - (iv) प्रयोग किये गये मुखावरण(मास्क) के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थान/रैड बॉक्स, से इतर अथवा अन्यत्र फेंकने पर रु० ५०० (पांच सौ रुपये मात्र)

उक्त विनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से शमन की धनराशि वसूल करने के उपरान्त पुलिस एवं अन्य अधिकृत विभाग के द्वारा चार(०४) मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

आज्ञा से,

( डा० पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव।

In pursuance of provision of clause(3) of Article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no-457 dated April, 27, 2021 for general information.

**Government of Uttarakhand**

**Medical Health and Medical Education Section-1**

**No.-457 /XXVIII-1/21-01(06)2020 TC**

**Dehradun, Dated 27 April, 2021**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by section 2 and section 3 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 :-

The Uttarakhand Epidemic Diseases COVID-19(Second Amendment) Regulations, 2021

- Short Title and commencement**
1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19(Second Amendment) Regulations, 2021.  
(2) It shall come into force at once.

- Amendment of regulation 19-B**
2. In the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020, for existing regulation 19-B(1) as set-out in column-1 below, the regulation as set-out in column-2 shall be substituted, namely:-

**Column-1**

*Existing regulation*

Compounding amount on violation of Regulation 19-A(1) :-

- (i) On first violation Rs. 200(Two Hundred Rupees only).
- (ii) On second violation Rs. 500(Five Hundred Rupees only).
- (iii) On third and for every subsequent time violation Rs. 1000(One Thousand Rupees only).
- (iv) A sum of Rs 500(five hundred) only, for throwing the used face cover/mask, away from the specified place/Redbox for its disposal, or at any other place.

Four(04) masks shall be provided free of cost to the person violated the said regulations after collecting the compounding amount by Police or any other authorized department.

**Column-2**


*Regulation as hereby substituted*

Compounding amount on violation of Regulation 19-A(1) :-

- (i) On first violation Rs. 500(Five Hundred Rupees only).
- (ii) On second violation Rs. 700(Seven Hundred Rupees only).
- (iii) On third and for every subsequent time violation Rs. 1000(One Thousand Rupees only).
- (iv) A sum of Rs 500(five hundred) only, for throwing the used face cover/mask, away from the specified place/Redbox for its disposal, or at any other place.

Four(04) masks shall be provided free of cost to the person violated the said regulations after collecting the compounding amount by Police or any other authorized department.

By Order,

  
**(Dr. Pankaj Kumar Pandey)**  
Secretary

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—१  
संख्या—/133/XXVIII—१/2019—०१(19)2018  
देहरादून: दिनांक/६ अगस्त, २०१९

अधिसूचना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत 21 श्रेणियों में परिभाषित दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु अधिनियम के अध्याय 'X' के प्राविधानों (धारा—57—59) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी को एतद्वारा निम्नवत नामित किया जाता है :—

- 1— प्रमाणीकरण अधिकारी — मुख्य चिकित्साधिकारी।
- 2— अपीलीय अधिकारी — (क) गढ़वाल मण्डल के दिव्यांगजनों हेतु निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० गढ़वाल मण्डल पौड़ी।  
(ख) कुमाऊ मण्डल के दिव्यांगजनों हेतु निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 2— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगजनों द्वारा आवेदन किया जायेगा।
- 3— जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में दिव्यांग बोर्ड का गठन किया जायेगा।
- 4— दिव्यांगजनों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जारी किये जायेंगे।
- 5— मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदकों को लिखित रूप में यह अवगत कराया जायेगा कि उन्हें विशिष्ट दिव्यांगता नहीं है।
- 6— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित प्राविधानों के आलोक में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जारी किये जायेंगे।
- 7— यदि कोई दिव्यांगजन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण—पत्र से असंतुष्ट है अथवा इसका आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो आवेदक 02 माह के अन्दर अपीलीय अधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं।
- 8— अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपील का निस्तारण किया जायेगा, आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांगता का परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा बोर्ड से कराया जा सकता है।

४८/११/१९

(पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव(प्रभारी)।

संख्या-१३/XXVIII-१/२०१९-०१(१९)२०१८ तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल / नैनीताल।
  - निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।
  - समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
  - अधीक्षक एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना के प्रकाशनार्थ।

प्रकाशन

आज्ञा से

(मुकेश कुमार राय)  
उप सचिव

३५९१/२०२१

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१  
देहरादून: दिनांक सितम्बर, २०२१  
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-१९ के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढ़ाये जाने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम १८९७ एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड-१९ विनियमावली २०२० के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ऐपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु पूर्व निर्धारित समस्त दरों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-१५प/भण्डार/९९/२०२१/२१२२८ दिनांक २४.०९.२०२१ के कम में NABH/NABL accredited निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की ऐपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर ₹० २७५.०० (दो सौ पचहत्तर रुपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

२- निजी प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण के पश्चात आई०सी०एम०आर० के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

३- उक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम १८९७ एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-१९ विनियमावली २०२० के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-१९ के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई०सी०एम०आर० द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा० पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. - आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. - समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. - महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. - निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. - मिशन निदेशक, एनएचम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. - मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. - विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा०पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव।

संख्या: /XXVIII-1/21-01(15)2019

## प्रेषक

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक १२ अक्टूबर, 2021  
विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न चिकित्सा ईकाईयों को आई०पी०एच०एस० (Indian Public Health Standards) के मानकानुसार स्थापित/चिन्हीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5342, दिनांक 22.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वांशा उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विभिन्न चिकित्सा ईकाईयों को आई०पी०एच०एस० (Indian Public Health Standards) मानकानुसार स्थापित करने विषयक शासनादेश संख्या-1443 / XXVIII-2 / 01(15)2019, दिनांक 17.10.2019 में कतिपय संशोधन किये जाने तथा आई०पी०एच०एस० मानकीकरण के क्रम में चिकित्सा ईकाईयों का जनपदवार ईकाईवार चिन्हीकरण एवं पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के कुल स्वीकृत 2735 पदों का इकाईवार चिन्हीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1443, दिनांक 17.10.2019 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- 02 के निम्न उपबिन्दुओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र० सं०	शासनादेश दिनांक 17.10.2019 में अंकित विवरण	प्रस्तावित संशोधन
1.	उप बिन्दु- 3-वर्तमान में जनपदों में स्थापित 10-30 बैड के सामु०स्वाठकेन्द्रों तथा संयुक्त चिकित्सालयों तथा क्षयरोगाश्रम, गेठिया को सामु०स्वाठकेन्द्रों के रूप में तथा कतिपय 10 बैड के सामु०स्वाठकेन्द्रों को जहाँ पूर्व से सृजेत चिकित्सकों की पद संख्या 03-04 ही है, को रोगी भार/आवश्यकता परीक्षण के आधार पर इनको आई०पी०एच०एस० मानकानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र Type-B में	उप बिन्दु-3-वर्तमान में जनपदों में स्थापित 10-30 बैड के सामु०स्वाठकेन्द्रों तथा संयुक्त चिकित्सालयों को सामु०स्वाठकेन्द्रों के रूप में तथा कतिपय 10 बैड के सामु०स्वाठकेन्द्रों को जहाँ पूर्व से सृजित चिकित्सकों की पद संख्या 03-04 ही है, को रोगी भार/आवश्यकता परीक्षण के आधार पर आई०पी०एच०एस० मानकानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र Type-B में।
2	उप बिन्दु-5- वर्तमान में जनपदों में स्थापित सामु०स्वाठकेन्द्रों (30 बैड से अधिक), संयुक्त चिकित्सालयों, बेस चिकित्सालयों तथा महिला चिकित्सालय हल्द्वानी को उप जिला चिकित्सालय के रूप में	उप बिन्दु-5- वर्तमान जनपदों में स्थापित सामु०स्वाठकेन्द्रों (30 बैड से अधिक), संयुक्त चिकित्सालयों, तथा बेस चिकित्सालयों को उप जिला चिकित्सालय के रूप में।
3	उप बिन्दु-6- जनपदों में स्थापित जिला चिकित्सालय, तथा जिला महिला चिकित्सालय (पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी तथा हरिद्वार) को जिला चिकित्सालय में संविलयन किया जाता है तथा द्रामा सेन्टर (विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, बागेश्वर, बेस अल्मोड़ा, रानीखेत, लोहाघाट, काशीपुर, उत्तरकाशी, कोटद्वार एवं टनकपुर) को उनके सम्बन्धित चिकित्सालयों में	उप बिन्दु-6- जनपदों में स्थापित जिला पुरुष चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालय, (पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी तथा हरिद्वार) को जिला चिकित्सालय में संविलयन किया जाता है तथा द्रामा सेन्टर (विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, बागेश्वर, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा, रानीखेत, लोहाघाट, काशीपुर,

क्र० सं०	शासनादेश दिनांक 17.10.2019 में अंकित विवरण	प्रस्तावित संशोधन
	संविलियन कर जिला चिकित्सालय के साथ ट्रामा यूनिट के रूप में संचालित किया जायेगा।	उत्तरकाशी, कोटद्वार, काण्डीसौङ, छाम, खटीमा एवं टनकपुर) को उनक सम्बन्धित चिकित्सालयों में संविलियन कर ट्रामा यूनिट के रूप में संचालित किया जायेगा।
4	उप बिन्दु-8- क्षयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल तथा मानसिक चिकित्सालय, सेलाकुर्झ, देहरादून को आई०पी०एस०एस० मानकों से पृथक अन्य चिकित्सा इकाईयों में सम्मिलित करते हुए यथावत रखा जायेगा।	उप बिन्दु-8- महिला चिकित्सालय हल्द्वानी, क्षयरोगाश्रम गेरिया एवं क्षयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल, मानसिक चिकित्सालय, सेलाकुर्झ, देहरादून तथा महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली को आई०पी०एस०एस० मानकों से पृथक अन्य चिकित्सा इकाईयों में सम्मिलित करते हुए यथावत रखा जायेगा।
2.	उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 के उप बिन्दु 11 में उक्त विवरण के अन्त में निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा।	

2. उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-02 के उप बिन्दु-11 में उल्लिखित तालिका में अन्य चिकित्सा इकाईयों में कार्यालय तथा चिकित्सा इकाईयों को पृथक-पृथक अंकित करते हुये निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

क्र० सं	जनपद का नाम			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप जिला चिकित्सालय				जिला चिकित्सालय			अन्य चिकित्सा इकाईया	कार्यालय (महानिदेशालय मुख्योऽपि, मण्डलीय निदेशक, सम्पादीय/राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण केन्द्र)	
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र Type-A	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र Type-B	10 बैड	30 बैड	31-50 बैड	51-100 बैड	≥ 100 बैड	300 बैड	100 बैड	200 बैड	300 बैड			
1	हरिद्वार	27	02	03	05	00	01	01	00	01	00	00	01	01	01
2	देहरादून	44	03	02	03	02	01	01	00	00	00	00	01	01	01
3	ठिहरी	49	05	07	04	01	00	00	00	01	00	00	08	08	04
4	उत्तरकाशी	30	03	02	02	00	00	00	00	01	00	00	01	01	01
5	पौड़ी	84	09	07	06	00	01	00	01	00	01	00	01	01	01
6	चमोली	34	05	01	04	01	00	00	00	01	00	01	00	01	02
7	रुद्रप्रयाग	37	01	00	02	00	00	00	00	01	00	00	02	02	01
8	उ.सि.नगर	33	01	01	04	01	02	00	00	01	00	00	01	01	01
9	नैनीताल	40	05	03	07	00	01	00	00	00	01	00	01	01	01
10	अल्मोड़ा	59	07	05	04	00	01	00	01	00	01	00	05	05	03
11	बागेश्वर	26	03	01	02	00	00	00	00	01	00	01	00	01	01
12	पिथौरागढ़	46	07	01	03	01	00	00	00	01	00	00	01	01	01
13	चम्पावत	17	01	00	00	02	00	00	00	00	01	00	01	01	01
	योग	526	52	33	46	8	07	2	3	6	6	1	25	25	19

3. उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- 3 के उप बिन्दु -2 में उल्लिखित तालिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

4. उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या- 3 के उप बिन्दु -3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः—

क्र० सं०	जनपद	पूर्व में चिकित्सकों के जनपदवार सृजित पद	शासनादेश सं०-1443, दि०-17.10.2019 के क्रम में जनपदवार चिकित्सकों के पदों की संख्या	चिकित्साधिकारियों के पदों का चिकित्सा इकाईवार विहीकरण किये जाने के उपरान्त संशोधित पद संख्या	पदों में अन्तर
1	हरिद्वार	200	203	203	3
2	देहरादून	388	318	312	-76
3	टिहरी	226	220	220	-6
4	उत्तरकाशी	154	116	116	-38
5	पौड़ी	365	343	343	-22
6	चमोली	171	149	170	-1
7	रुद्रप्रयाग	94	96	96	2
8	उधमसिंह नगर	197	205	205	8
9	नैनीताल	278	319	319	41
10	अल्मोड़ा	276	276	276	0
11	बागेश्वर	102	98	98	-4
12	पिथौरागढ़	181	161	161	-20
13	चम्पावत	103	100	100	-3
	योग	2735	2604	2619	-116

(‘शासनादेश संख्या-1443, दिनांक 17.10.2019 के क्रम में चिकित्साधिकारियों के पदों का पुनः इकाईवार चिन्हीकरण किये जाने के क्रम में पूर्व में चिकित्साधिकारियों के 131 अतिरिक्त पदों में से महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली हेतु चिकित्साधिकारियों के पदों को आवंटित किये जाने तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में चिकित्साधिकारियों की संख्या संशोधित किये जाने के फलस्वरूप चिकित्साधिकारियों के 116 पद शेष है।)

5. बिन्दु संख्या-3 के उप बिन्दु-4 में अंकित तालिका में निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः—

क्र०सं०	जनपद	116' अतिरिक्त पदों के आवंटन/समायोजन का विवरण
1.	हरिद्वार	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 10 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
2.	देहरादून	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 10 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
3.	टिहरी	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 06 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
4.	उत्तरकाशी	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 06 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
5.	पौड़ी	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 10 पद 2. जिला चिकित्सालय एवं बेस चिकित्सालय, कोटद्वार हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02-02 पद कुल 04 पद
6.	चमोली	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 05 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
7.	रुद्रप्रयाग	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 03 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
8.	ऊधमसिंह नगर	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 09 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
9.	नैनीताल	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 09 पद 2. जिला चिकित्सालय एवं बेस चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 04 पद

क्र०सं	जनपद	116' अतिरिक्त पदों के आवंटन/समायोजन का विवरण
10.	अल्मोड़ा	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 06 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
11.	बागेश्वर	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 03 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
12.	पिथौरागढ़	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 06 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद
13.	चम्पावत	1. मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन अतिरिक्त चिकित्सक के 03 पद 2. जिला चिकित्सालय हेतु अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के 02 पद

6. उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या— 4 में उल्लिखित तालिका को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र०सं	पदनाम	पद संख्या	शासनादेश संख्या 1443 दिनांक 17.10.2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार तैनाती स्थल	संशोधित तैनाती स्थल
1	महानिदेशक	01	मुख्यालय	यथावत
2	निदेशक	06	04 पद— मुख्यालय स्तर 02 पद— मण्डलीय मुख्यालय स्तर	यथावत
3	अपर निदेशक	35	13 पद—प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हेतु। 10 पद— 10 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक (बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, को छोड़ते हुए) 8 पद— महानिदेशालय हेतु। 2.पद—राजकीय सम्भागीय प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी एवं देहरादून। 2 पद—उपजिला चिकित्सालय, कोटद्वार एवं हल्द्वानी हेतु।	13 पद—प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हेतु। 10 पद—10 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक (बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग को छोड़ते हुए) 08 पद—महानिदेशालय हेतु— 02 पद— राजकीय सम्भागीय प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी एवं देहरादून। 02 पद—उपजिला चिकित्सालय, कोटद्वार एवं हल्द्वानीके प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु।
4	संयुक्त निदेशक	162	23 पद—प्रत्येक उपजिला चिकित्सालय तथा मानसिक चिकित्सालय, सेलाकुई में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पद हेतु।  03 पद — चम्पावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु। 52 पद — प्रत्येक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 04—04 पद। 25 पद — महानिदेशालय हेतु। 39 पद— जनपद के प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 03—03 पद क्लीनिकल कार्य हेतु। 20 पट— उप जिला चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य हेतु।	22 पद—प्रत्येक उप जिला चिकित्सालय 1. रामनगर जनपद नैनीताल 2.लोहाघाट 3. टनकपुर जनपद चम्पावत 4.धारचूला जनपद पिथौरागढ़ 5.रानीखेत 6.उप जिला चिकि० अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा 7. काशीपुर 8. खटीमा 9. बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर 10.विकासनगर 11. मसूरी 12. प्रेमनगर 13. ऋषिकेश जनपद देहरादून 14. श्रीनगर जनपद पौड़ी 15.नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी, 16.कर्णप्रयाग जनपद चमोली 17. मेला चिकित्सालय एवं 18. रुडकी जनपद हरिद्वार में) एवं 19. मानसिक चिकित्सालय, सेलाकुई, 20. श्रयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल व 21. महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी तथा 22. महिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पद हेतु। 03 पद—चम्पावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु। 52 पद—प्रत्येक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 04—04 पद। 15 पद—महानिदेशालय हेतु 70 पद—300 बैड उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, (नैनीताल), कोटद्वार (पौड़ी) एवं जिला चिकित्सालय (देहरादून) में 07—07 पद, 200 बैड जिला चिकित्सालय, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं उधम सिंह नगर में 05—05 पद एवं 100 बैड जिला

क्र० सं०	पदनाम	पद संख्या	शासनादेश संख्या 1443 दिनांक 17.10.2019 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार तैनाती स्थल	संशोधित तैनाती स्थल
5	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	426	<p>132 पद -80 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप-बी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में।</p> <p>40 पद-मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल तथा अल्मोड़ा) हेतु 04-04 पद तथा (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत) में 02-02 पद विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु।</p> <p>10 पद - महानिदेशालय हेतु।</p> <p>244 पद- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - बी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप जिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/सचिवालय डिस्पेन्सरी/विधान सभा डिस्पेन्सरी/हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी/राजभवन डिस्पेन्सरी एवं अन्य राजकीय इकाईयों में आवश्यकता/जन उपयोगिता के दृष्टिगत।</p>	<p>चिकित्सालय, बागेश्वर, चम्पावत, टिहरी, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर (चमोली) में 03-03 पद एवं हरिद्वार में 04 पद क्लीनिकल कार्य हेतु।</p> <p>133 पद - 80 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप-बी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा 01 पद क्षयरोगाश्रम, गेठिया के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में।</p> <p>40 पद-मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल तथा अल्मोड़ा) हेतु 04-04 पद तथा (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत) में 02-02 पद विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु।</p> <p>08 पद - महानिदेशालय हेतु।</p> <p>245 पद-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - बी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप जिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/सचिवालय डिस्पेन्सरी/विधान सभा डिस्पेन्सरी/हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी/राजभवन डिस्पेन्सरी एवं अन्य राजकीय इकाईयों में आवश्यकता/जन उपयोगिता के दृष्टिगत।</p>
6	चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	643	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप -ए/बी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपजिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय में	यथावत
7	चिकित्सा अधिकारी	1462	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - ए/बी/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपजिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय में	यथावत

3— उक्त के अतिरिक्त संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार विभिन्न चिकित्सा ईकाईओं हेतु सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के पदों का आई०पी०एच०एस० मानकानुसार निर्धारण तथा जनपदवार/चिकित्सा ईकाईवार पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के पदों का चिन्हीकरण एवं परिशिष्ट-2 के अनुसार जनपदवार चिकित्सा ईकाईयों का चिन्हीकरण किये जाने एवं परिशिष्ट-3 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु पदों का चिन्हीकरण किये जाने ईकाई हेतु किसी विशिष्ट विधा के चिकित्साधिकारी की अपर्याप्तता/आवश्यकता होने की स्थिति में उक्त पद को अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी/सामान्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जा सकेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र सं०-५५१/XXVII(7)/2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

संख्या: 1130 / XXVIII-1 / 01(15)2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, कौलागढ़, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
3. गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/XIII/XXI/2019, दिनांक 30.08.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, 3 एवं 4, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: 1130 / XXVIII-1 / 20-01(15)2019, दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 का परिशिष्ट-1  
(खाता 06 पुस्त)

### जिला चिकित्सालय (Manpower - Medical)

क्रमांक	विशेषज्ञ	100 बैड	200 बैड	300 बैड
1	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	1	1	1
2	फिजिशियन	2	2	3
3	सर्जन	2	2	3
4	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	2	3	4
5	बालरोग विशेषज्ञ	2	3	4
6	एनेरथेटिस्ट	2	2	3
7	नेत्र सर्जन	1	1	2
8	हड्डी रोग विशेषज्ञ	1	1	2
9	रेडियोलॉजिस्ट	1	1	2
10	पैथोलॉजिस्ट	1	2	3
11	ई.एन.टी.सर्जन	1	1	2
12	चर्मरोग विशेषज्ञ	1	1	1
13	मनोरोग विशेषज्ञ	1	1	1
14	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	1	1	1
15	फोरेन्सिक एक्सपर्ट	1	1	1
16	अन्य विशेषज्ञ	2	2	2
17	चिकित्सा अधिकारी	10	12	14
कुल योग		32	37	49

### उपजिला चिकित्सालय (Manpower - Medical)

क्रमांक	विशेषज्ञ	31-50 बैड	51-100 बैड	झ 100 बैड	300 बैड
1	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	-	-	-	1
2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1	1	1	-
3	फिजिशियन	2	2	2	3
4	सर्जन	1	2	2	3
5	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	2	2	2	4
6	बालरोग विशेषज्ञ	1	2	2	4
7	एनेरथेटिस्ट	1	2	2	3
8	नेत्र सर्जन	1	1	1	2
9	हड्डी रोग विशेषज्ञ	1	1	1	2
10	रेडियोलॉजिस्ट	1	1	1	2
11	पैथोलॉजिस्ट	-	1	1	3

12	ई.एन.टी.सर्जन	1	1	1	2
13	चर्मरोग विशेषज्ञ	1	1	1	1
14	मनोरोग विशेषज्ञ	-	1	1	1
15	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	-	-	1	1
16	फोरेंसिक एक्सपर्ट	-	1	1	1
17	अन्य विशेषज्ञ	-	-	-	2
18	पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ	1	1	-	-
19	चिकित्सा अधिकारी	7	9	10	14
	कुल योग	21	29	30	49

### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (Manpower - Medical)

क्र०स०	विशेषज्ञ	10 एवं 30 बैड
1	चिकित्सा अधीक्षक	1
2	पब्लिक हैल्थ स्पेशलिस्ट / अन्य विशेषज्ञ	1
3	जनरल सर्जन	1
4	फिजिशियन	1
5	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1
6	बालरोग विशेषज्ञ	1
7	एनेस्थेटिस्ट	1
8	चिकित्सा अधिकारी	2
	कुल	9

### प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Manpower - Medical)

क्र०स०	विशेषज्ञ	टाईप- ए	टाईप - बी
1	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	-	1
2	चिकित्सा अधिकारी	1	1
	कुल	1	2

### अन्य चिकित्सा इकाई / कार्यालय (Manpower - Medical)

#### जनपद हरिद्वार

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, हरिद्वार	चिकित्सा अधिकारी	2
2		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
	कुल योग		11

### जनपद चमोली

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, चमोली	चिकित्सा अधिकारी	2
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका	1
		स्त्रीरोग विशेषज्ञ	4
		हड्डी रोग विशेषज्ञ	1
2	महिला बेस चिकित्सालय, सिमली, चमोली (100 बैड)	फिजीशियन	1
		बाल रोग विशेषज्ञ	2
		निश्चेतक	2
		रेडियोलॉजिस्ट	1
		चिकित्साधिकारी	9
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
3	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2
	कुल योग		30

### जनपद रुद्रप्रयाग

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, रुद्रप्रयाग	चिकित्सा अधिकारी	2
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2
	कुल योग		09

### जनपद टिहरी

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, टिहरी	चिकित्सा अधिकारी	2
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
	कुल योग		11

### जनपद उत्तरकाशी

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, उत्तरकाशी	चिकित्सा अधिकारी	2
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2
	कुल योग		09

### जनपद पौड़ी

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, पौड़ी	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
3	मंडलीय कार्यालय, पौड़ी	सम्भागीय निदेशक	1
		संयुक्त निदेशक	1
	कुल योग		13

### जनपद देहरादून

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सैलाकुई	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1
		मनोरोग विशेषज्ञ	4
		चिकित्सा अधिकारी (महिला / पुरुष)	4
2	सचिवालय डिस्पेंसरी (देहरादून)	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1
	विधानसभा, डिस्पेंसरी (देहरादून)	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1
	उत्तरांचल निवास डिस्पेंसरी, दिल्ली	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1
2	राजभवन	फिजिशियन	1
	मा० मुख्यमंत्री आवास	फिजीशियन	1
	टी०बी० क्लीनिक, देहरादून	चिकित्सा अधिकारी	2
	टी०बी० क्लीनिक, ऋषिकेश	चिकित्सा अधिकारी	2
3	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
4	सम्भागीय स्वास्थ्य एवं प०को० प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून	प्रधानाचार्य / संयुक्त निदेशक	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
5	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, देहरादून	चिकित्सा अधिकारी / इपिडिमियोजॉजिस्ट	1
		माईक्रोबायोलॉजिस्ट	1
		ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर / चिकित्सा अधिकारी (टी०बी०)	1
6	महानिदेशालय	महानिदेशक	1
		निदेशक	4
		अपर निदेशक	8
		संयुक्त निदेशक	15
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	8
	कुल योग		69

## जनपद उधम सिंह नगर

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, उधम सिंह नगर	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
	कुल योग		11

## जनपद अल्मोड़ा

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, अल्मोड़ा	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
	कुल योग		11

## जनपद पिथौरागढ़

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, पिथौरागढ़	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2
	कुल योग		09

## जनपद चम्पावत

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, चम्पावत	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2
	कुल योग		09

## जनपद बागेश्वर

क्र०स०	इकाई	पदनाम	संख्या
1	टी०बी० क्लीनिक, बागेश्वर	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	2
	कुल योग		09

### जनपद नैनीताल

क्रमांक	इकाई	पदनाम	संख्या
1	महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी (51 से 100 बैड)	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1
		स्त्री रोग विशेषज्ञ	8
		बाल रोग विशेषज्ञ	4
		एनेस्थेटिस्ट	4
		रेडियोलोजिस्ट	2
		पैथोलोजिस्ट	2
		महिला चिकित्सा अधिकारी	8
2	क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल (30 बैड)	चिकित्सा अधीक्षक	1
3	क्षयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल (65 बैड)	टी०बी० एण्ड चेस्ट	4
		चिकित्सा अधिकारी	4
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1
		टी०बी० एण्ड चेस्ट	4
		रेडियोलोजिस्ट	1
		पैथोलोजिस्ट	1
		चिकित्सा अधिकारी	4
1	टी०बी० क्लीनिक, हल्द्वानी	चिकित्सा अधिकारी	2
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
		अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	4
		वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	4
3	हाई कोर्ट डिस्पेन्सरी, नैनीताल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
4	सम्भागीय स्वास्थ्य एवं प०क० प्रशिक्षण केन्द्र, मोतीनगर, हल्द्वानी	चिकित्सा अधिकारी	2
		प्रधानाचार्य / संयुक्त निदेशक	1
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
		सम्भागीय निदेशक	1
5	मण्डलीय कार्यालय, नैनीताल	संयुक्त निदेशक	1
	कुल योग		68

*—*  
(मुकेश कुमार राय)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या:- १३० / XXX-1 / 21-01(15) / 2019, दिनांक १२ अक्टूबर, 2021 का परिशिष्ट-३  
 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून  
 (कुल ५२ पृष्ठ)

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	अन्युक्ति
1	महानिदेशक	1	
	योग	1	
1	निदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य/प्रशासन)	1	
2	निदेशक अधिप्राप्ति (सामग्री)/नियोजन/बजट	1	
3	निदेशक अधिप्राप्ति (सेवायें)	1	
4	निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1	
	योग	4	
1	अपर निदेशक (प्रशासन)	1	
2	अपर निदेशक(पी०पी०पी०)	1	
3	अपर निदेशक (भण्डार)	1	
4	अपर निदेशक (नियोजन)	1	
5	अपर निदेशक (मा०शि०का०)	1	
6	अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1	
7	अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार)	1	
8	अपर निदेशक (स्वास्थ्य)	1	
	योग	8	
1	संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)	1	
2	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	
3	संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)	1	
4	संयुक्त निदेशक (चिकि० उपचार)	1	
5	संयुक्त निदेशक (पैरा०/ नर्सिंग)	1	
6	संयुक्त निदेशक(कोर्ट केस)	1	
7	संयुक्त निदेशक(स्टाफ आफीसर)	1	
8	संयुक्त निदेशक (सूचना अधिकार)	1	
9	संयुक्त निदेशक (नियोजन/ निर्माण)	1	
10	संयुक्त निदेशक (भण्डार)	1	
11	संयुक्त निदेशक(प०क० / मा०शि०क०)	1	
12	संयुक्त निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम/ आई०डी०एस०पी०)	1	
13	संयुक्त निदेशक(एन०सी०डी०/ नेत्र उपचार/ टी०बी०/ कुष्ठ )	1	
14	संयुक्त निदेशक (पी०पी०पी)	1	
15	संयुक्त निदेशक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण)	1	
	योग	15	

1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (प्रशाठ)	1	
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (मुख्यालय)	1	
3	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (चिकित्सा उपचार)	1	
4	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (स्वास्थ्य)	1	
5	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (आईडी०एस०पी०)	1	
6	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (मा०शि०क०)	1	
7	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (पी०पी०पी०)	1	
8	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / सहायक निदेशक (पैरामेडिकल)	1	
	योग	8	
	कुल योग	36	

(मुकेश कुमार राय)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या:- ११३० / XXVIII-1 / 21-01(15)2019, दिनांक १२ अक्टूबर, 2020 का परिषिष्ठ-२ (प्राप्ति १३८०८)

जनपद हरिद्वार

क्र० सं०	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाइप-ए (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में 04 बैड)	<p>1. बिहारीनगर 8. पनियाला 9. बुगावाला 10. भलसागाज 11. ढण्डेरा 12. झाबरेड़ा 13. नहेड़ा 14. फोलपुर 15. चन्द्रापुरी 16. रोशनाबाद 17. पथरी रोड सुमन नगर 18. मानकपुर आदमपुर 19. सिकराडा 20. रायसी 21. सुलानपुर आदमपुर 22. पिरान कलियर 23. औरांगाबाद 24. लखनौता 25. सलमपुर राजपूताना 26. डाडा जेलालपुर 27. सिरचन्दी</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाइप-बी (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में 04 बैड)	<p>1. इमलीखेड़ा 2. मकदूमपुर</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बैड)</p> <p>1. नारसन 2. लक्ष्मीनपुर 3. मावानपुर 4. बहादरबाद 5. ज्वालापुर</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (10 बैड)</p> <p>1. मांगलोर 2. खानपुर 3. लण्ठोरा (4 बैड)</p>
4	उप जिला चिकित्सालय	<p>1. हरिद्वार (51 से 100 बैड) (मेला चिकित्सालय, हरिद्वार 100 बैड)</p> <p>2. लड़की (<math>\geq 100</math> बैड) (सम्पुर्ण लड़की 100 बैड + द्रामा सेंटर लड़की 15 बैड)</p>
5	जिला चिकित्सालय	हरिद्वार (100 बैड) (एच०एम०जी० जिला चिकित्सालय, हरिद्वार 70 बैड + चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार 30 बैड)
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. टी०बी० ग्लीनिक</p>
7	कार्यालय	<p>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय</p>

## जनपद देहरादून

**आईपीएस0 मानकानुसार चिकित्सा इकाई**

क्र0 स0	आईपीएस0 मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आईपीएस0 मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - ए (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में 04 बैंड)	1. मालदेवता 2. नाहीकला 3. सरोना 4. डोमालयाला 5. भोगपुर 6. रानीपोखरी 7. बुल्लिड 8. कोटी कनासर 9. हटाल 10. बरौंथा 11. मध्यवाहना 12. भटाड 13. दसळ 14. खबाऊ 15. पिनगिरी 16. मुधान 17. थैना 18. विरमाझ 19. कामला 20. लखवाड 21. कटापत्थर 22. राजपुर 23. थानों 24. मेहवाला 25. नेहरुग्राम 26. भानियावाला 27. छिद्दरवाला 28. दूधली 29. बालावाला 30. रायवाला 31. लूनी 32. मानथात 33. कचासी 34. पजिटिलानी 35. कुञ्जग्राट 36. लुदपुर 37. हरबर्टपुर 38. परिचमवाला 39. नयागाँव पेलियो 40. भगवंतपुर 41. राजवाला 42. समावाला 43. गुमानीवाला 44. कोटी कालसी
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप- बी (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में 04 बैंड)	1. कालसी 2. कोटी ढलानी 3. सेलाफुई
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<b>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बैंड)</b> 1. चक्रशता 2. डोईवाला 3. सहिया <b>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (10 बैंड)</b> 1. रायपुर 2. सहसपुर
4	उप जिला चिकित्सालय	1. ऋषिकेश ( $\geq 100$ बैंड) (एस0पीएस0संयुक्त चिकित्सालय, ऋषिकेश 150 बैंड + द्रामा सेन्टर, ऋषिकेश 15 बैंड) 2. मसूरी (51 से 100 बैंड) (सेन्ट मेरी चिकित्सालय, मसूरी- 53 बैंड + सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मसूरी 30 बैंड) 3. प्रेमनगर (31 से 50 बैंड) (संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर 30 बैंड) 4. विकास नगर (31 से 50 बैंड) (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विकासनगर 30 बैंड + द्रामा सेन्टर विकासनगर 15 बैंड)
5	जिला चिकित्सालय	देहरादून ( 300 बैंड) (पृष्ठीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्साल (कोरोनेशन) 120 बैंड + महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून, 100 बैंड)
6	अन्य चिकित्सा इकाई	1. सचिवालय डिस्पेंसरी 2. विधान सभा डिस्पेंसरी 3. उत्तरांचल निवास डिस्पेंसरी, दिल्ली डिस्पेंसरी 5. मातृ मुख्यमंत्री आवास डिस्पेंसरी 6. टी०बी०क्लीनिक, देहरादून 7. टी०बी० क्लीनिक, ऋषिकेश 8. मानसिक चिकित्सालय, सेलाफुई, देहरादून
7	कार्यालय	1. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून 2. कार्यालय सम्मानीय स्वास्थ्य एवं पृष्ठी प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून 3. कार्यालय राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र 4. कार्यालय महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून

## जनपद- टिहरी

क्र० सं०	आईपीएचएस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आईपीएचएस० मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाइप - ५ (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में ०४ बैड)	<p>1. कोडरना 2. चौपडियालगांव 3. नकोट 4. नागराजधार 5. काएडीखालजुवा 6. कोटीमत्ताडी      7. धनौलटी 8. पनियाला 9. कोटालगांव 10. हलैथ 11. दल्ला 12. ठेला नैलचामी 13. खवाडा      14. मेघधार 15. धनसाली 16. अखोड़ी 17. काञ्छीखाल, मार्गे 18. रजाखेत 19. खन्डोगी      सेमण्डीधार 21. जाखण्डीधार 22. बैंजवाड़ी 23. जखण्ड 24. डुण्डिसर 25. पौड़ीखाल 26. देवप्रयाग 27. टकोली      28. जामणीखाल 29. रणकोट 30. पावफीदेवी 31. गजा 32. नई टिहरी 33. कमान्द 34. मैडखाल      35. सत्यों 36. नैनबाग 37. हुलानाखाल 38. बुद्धकेदार 39. युजू 40. चिमियाला 41. अंजनीसैण 42. धारकोट 43.      अछरीखेट 44. चूली 45. हिसिरियाखाल 46. कैमटी जौनपुर 47. लोस्तु बडियाराड 48. दीनगांव 49. भवान</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाइप- बी (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में ०४ बैड)	<p>1. फकोट 2. नस्दगांव 3. पिलखी 4. डोबरापुल 5. छेषधार</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (३० बैड)</p> <p>1. हिण्डेलाखाल 2. थत्यूड 3. बैलश्वर 4. देवप्रयाग</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(१० बैड)</p> <p>1. कीर्तिनगर 2. छाम 3. मदननगर 4. चम्बा 5. प्रतापगढ़ 6. खाड़ी 7. लम्बगांव चौड</p>
4	उप जिला चिकित्सालय,	<p>1. नरेन्द्र नगर, टिहरी गढवाल (३१ से ५० बैड) (श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर ५० बैड)</p>
5	जिला चिकित्सालय	<p>टिहरी गढवाल (१०० बैड) (जिला चिकित्सालय, बौराडी, टिहरी - १०० बैड)</p>
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. टी०बी० वर्लीनिक, नरेन्द्रनगर</p>
7	कार्यालय	<p>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय</p>

## जनपद- उत्तरकाशी

क्र०	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
स०	का नाम	
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - ए (प्रत्येक चिकित्सा ईकाई में 04 बैड)	1. गँगोत्री 2. नानान 3. उत्तरों 4. रथल 5. मनेरी 6. हर्षिल 7. कल्याण 8. कालखाल दिचली 10. नाइनों 11. राजगढ़ी 12. खरादी 13. गाना 14. कफनौल 15. गुरुद्वारा 16. चट्टी टिकोवी 17. लेलाडी 18. नैतवाड 19. कुमोला 20. दंडों 21. जानकी चट्टी 22. धोतरी 23. ब्रह्मगुल 24. पिपलीराजक 25. बनधोरा 26. दंडों 27. डमटा 28. आराकोट 29. मान्दुर 30. नारी
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप- बी (प्रत्येक चिकित्सा ईकाई में 04 बैड)	1. हुण्ड 2. नटवाडी 3. नैताला
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	<b>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (30 बैड)</b> 1. नोनाव 2. युरोला <b>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (10 बैड)</b> 1. लिन्चालीसोण्ड 2. बरकोट
4	जिला चिकित्सालय	उत्तरकाशी (200 बैड) (जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी 108 बैड + ट्रामा सेन्टर, उत्तरकाशी + 33 + महिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी 50 बैड)
5	अन्य चिकित्सा ईकाई	1. टी०बी० कलीनिक, उत्तरकाशी 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय

## जनपद- पौडी

क्र सं	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिह्नित इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - ए (प्रत्येक चिकित्सा इकाई मे 04 बैंड)	<p>1. उरेंगी 2. निसनी 3. चिपलधाट 4. सैंजी 5. मरोड़ा 6. गोंगा 7. सिवाल 8. नगर 9. आरोड़ा 10. थानमासो 11. उफरेखाल 12. स्थोलीतल्ला 13. गोंगा तलैया 14. रामगाँव 15. मेठनाधाट 16. दुनाव 17. घनियाखाल 18. फरसाव 19. दुपला 20. कोटामहादेव 21. बेदीखाल 22. अदलीखाल 23. दिगोलीखाल 24. गोल 25. खदरासी 26. कमन्दा 27. बसन्तपुर 28. बहेड़खाल 29. सबधरखाल 30. देहल 31. सुमाडी 32. बुधाणी 33. भट्टीसोरा 34. जाख 35. असनखेत 36. खैरासैण 38. सैम्पीड़ 39. जाङ्डीखाल 40. गवाणी 41. कोलाखाल 42. देवराजखाल 43. संगलाकोटी 44. गीठाखाल 45. गोल 46. तिमलसैण 47. हारी 48. रथुवाढ़ाब 49. डारखाल 50. बन्धुरी 51. भरपुर 52. लक्ष्मणझुला 53. दृढ़ 54. मुंगुखाल 55. हीराखाल 56. काण्डी 57. बौधाट 58. जसपुर 59. किनमुर 60. काण्डाखाल 61. द्वारिङ 62. मुमेरकसैण 63. बल्ली 64. मोटाढ़ाक 65. लालपानी 65. नाशूखाल 66. ल्याली 67. सिरोली 66. ल्याली 68. तुल्जीखाल 70. मुण्डेश्वर 71. चाकीसोण 72. बूंगिखाल 73. बैजारो 74. ललितपुर 75. धूमाकोट 76. बेतान्दा 77. दुधारखाल 78. बडियारगाँव 79. किमसर 80. करधर 81. झन्डीचोड 82. पौखाल 83. किल्बोखाल 84. दुम्पुल</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप- बी (प्रत्येक चिकित्सा इकाई मे 04 बैंड)	<p>1. जयहरीखाल 2. पाटीसोण 3. डाडमण्डी 4. पोखड़ा 5. दुग्गड़ा 6. पान्दी 7. तुल्जीखाल</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बैंड)</p> <p>1. पावो 2. घडियाल 3. नैनीडण्डा 4. बीरेखाल 5. थेलीसोण 6. संयुक्त 7. नतपुली</p>
4	उप जिला चिकित्सालय	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(10 बैंड)</p> <p>1. श्रीनगर (51 से 100 बैंड) (स्थायक चिकित्सालय, श्रीनगर 54 बैंड)</p> <p>2. कोटद्वार (300 बैंड) (बेस चिकित्साल, कोटद्वार 300 बैंड)</p>
5	जिला चिकित्सालय	<p>1. पौड़ी (200 बैंड) (जिला चिकित्सालय, पौड़ी 132 बैंड + महिला चिकित्सालय, पौड़ी 33 बैंड)</p>
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. टी०बी० गलीनिक, पौड़ी</p>
7	कार्यालय	<p>1. मण्डलीय कार्यालय चिकित्सालय, पौड़ी</p> <p>2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय</p>

## जनपद-चमोली

क्र० सं०	आईपीएचएस० मानकानुसार चिकित्सा ईकाई इकाई का नाम	आईपीएचएस० मानकानुसार निहित चिकित्सा ईकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप-ए (प्रत्येक चिकित्सा ईकाई में 04 बैड)	<p>1. शैलेश्वर 2. थिरपाक 3. भटोली 4. नौटी 5. बद्रीनाथ 6. पाण्डुकेश्वर 7. बाम्पा 8. झेलम 9. सलुरडुगारा 10. धाघरिया(पुलना) 11. जेनविट 12. बोरागाड 13. ग्वालदम 14. तलवाड़ी 15. कुराड 16. डाडरबागड 17. मण्डल 18. काण्डई(दशोली) 19. मोख 20. बुराओला 21. रैता 22. मेलचोरी 23. देवलकोट 24. गौचर 25. उर्गम 26. चोपाता(कड़कोट) 27. केई पैटी 28. चमोली 29. पीपलकोटी 30. माईथान 31. मालसी 32. सितोल 33. जस्यारा 34. नन्दप्रयाग</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप-बी (प्रत्येक चिकित्सा ईकाई में 04 बैड)	<p>1. नारायणबागड 2. स्थूण बैमल 3. हापला 4. देवाल 5. नैनीसैण(कपरी कण्डरा)</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<p><b>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(30 बैड)</b>            1. जोशीभट 2. थराली 3. गैरसोण 4. जोखरी</p> <p><b>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(10 बैड)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. घाट</li> </ol>
4	उप जिला चिकित्सालय	<p>कर्णप्रयाग, चमोली (31 से 50 बैड)            (सामुदायिक केन्द्र कर्णप्रयाग 30 बैड + द्रामा सेन्टर कर्णप्रयाग 15 बैड)</p>
5	जिला चिकित्सालय	<p>गोपेश्वर, चमोली (100 बैड)            (जिला चिकित्सालय, चमोली 78 बैड + द्रामा सेन्टर, चमोली 15 बैड)</p>
6	अन्य चिकित्सा ईकाई	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. टी०बी० गल्नीनिक गोपेश्वर चमोली</li> <li>2. नहिला चिकित्सालय, सिमली, चमोली</li> </ol>
7	कार्यालय	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय</li> </ol>

## जनपद - रुद्रप्रयाग

क्र०	आईपीएच0एस0 मानकानुसार चिकित्सा ईकाई का नाम	आईपीएच0एस0 मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा ईकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - १ (प्रत्येक चिकित्सा ईकाई में ०४ बैंड)	१. लिलबाड़ी २. घोलतीर ३. सतेशगाँव ४. उल्लगांड़ी ५. पठालीधार ६. भीरी ७. बसुकेदार ८. मणिहुङ ९. ग्वाड़ १०. रहुड़ा ११. काण्डई- दसज्युला १२. गोरीकुण्ड १३. केदारनाथ १४. गुप्तकाशी १५. दैड़ा १६. परकणड़ी १७. मनमूना १८. कालीमठ १९. कुन्याली २०. रणधार २१. बक्सीर २२. सौरभाल २३. ढोपड़ा २४. घिमतोली २५. खेड़ाखाल २६. चन्द्रनगर २७. दुर्गाधार (बाबई) २८. फाटा २९. ल्लाणी (जेखीमठ) ३०. धेपड़खाल ३१. हिंगाधार ३२. बैनोली (जखोली) ३३. रानीपुर (घनपुर) ३४. कोण्डा (योपातो) ३५. बावई ३६. जाया जैली ३७. जॉलमल्ला
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप- बी	१. लंखमठ
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (३० बैंड)
5	जिला चिकित्सालय	१. अगरसुनि २. जखोली
6	अन्य चिकित्सा ईकाई	१. टी०बी० कलीनिय, रुद्रप्रयाग
7	कार्यालय	१. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय

## जनपद- उधम सिंह नगर

क्र० सं	आईपीएच0एस0 मानकानुसार चिकित्सा इकाई	आईपीएच0एस0 मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - ५	1. रायपुर (गदरपुर) 2. जोगीपुरा 3. रामनगर 4. करनपुर 5. पवड़ी खमरिया 6. हल्दी 7. साझूनगर 8. तिलियापुर 9. नारायणनगर 10. ढकिया 11. परमानन्दपुर 12. पत्तरामपुर 13. लालपुर 14. रायपुर (जसपुर) 15. गढ़ीनगी 16. हरिपुराहरसान 17. बेरियादौलत 18. सुलतानपुरपट्टी 19. बनाखेड़ा 20. मोहनपुर 21. दिनेशपुर 22. सकेनिया 23. गुलखोज 24. नारायणपुर 25. बरा 26. शान्तिपुरी 27. दयूरी 28. प्रतापपुर 29. नगलातराई 30. चकरपुर 31. शक्तिफार्म 32. मैनाझुड़ी 33. महुआखेड़ागांज
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - बी	1. केलाखेड़ा
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (30 बैंड) 1. किंच्छा 2. जसपुर 3. सितारांग 4. गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(10 बैंड) 1. नानकमत्ता
4	उप जिला चिकित्सालय	1. काशीपुर (51 से 100 बैंड) (एल0डी0भट्ट संयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर 76 बैंड + द्रामा सेंटर, काशीपुर 15 बैंड) 2. खटीमा (51 से 100 बैंड) (नागरिक संयुक्त चिकित्सालय, खटीमा 100 बैंड) 3. बाजपुर (31 से 50 बैंड) (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाजपुर 30 बैंड)
5	जिला चिकित्सालय	1. उधम सिंह नगर (200 बैंड)
6	अच्युत चिकित्सा इकाई	1. टी0बी0 कलीनिक, लदपुर
7	कार्यालय	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय

## जनपद- नैनीताल

क्र० स०	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - ५	<p>1. डोलीगाव 2. डालकन्या 3. खनसूर 4. उषराड 5. सुंदरखाल 6. भोरा 7. धनियाकोट  8. कालाखेत 9. सिमलखा 10. पृथिवीगढ़ी 11. मौना 12. बाजपथरी 13. पेहरी 14. पूड़ा  15. ओखलढुगा 16. नथुवाखान 17. तल्ला रामगढ 18. बाना 19. पहाड़पानी  20. पाटकोट 21. सतबुगा 22. फुटफुंवा 23. बनमूलपुरा 24. खेड़ा 25. काठगोदाम 26. छोइ  27. चकुलवा 28. पतलिया 29 बजून 30. सुखदनखोरी 31. ज्येश्वर 32. बिठोरिया नं०-१  33. दौलतपुर 34. पाण्डेनियाड 35. चोरगलिया 36. कनिया 37. पीरमदारा 38. ऊचाकोट  39. ज्योलीकोट 40. जी०बी०पंत, चिकित्सालय, नैनीताल</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप- बी	<p>1. ओखलकाण्डा 2. मोटाहल्दू 3. बैलपड़ाव 4. लालकुंआ 5. बिन्दुखत्ता</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (30 बैड)</p> <p>1. भवाली 2. बेतालघाट 3. गरमपानी 4. कोटाबाग 5. गीमताल 6. भालधनचौड़  7. संयुक्त चिकित्सालय, प्रदूमनाथ</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(10 बैड)</p> <p>1. कालाढुगी 2. सुयालबाड़ी 3. रामगढ़</p>
4	उप जिला चिकित्सालय	<p>1. रामनगर (51 से 100 बैड)  (संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर 100 बैड)</p> <p>2. हल्द्वानी, नैनीताल – 300 बैड  (बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी)</p>
5	जिला चिकित्सालय	<p>1. नैनीताल- 200 बैड  (बी०डी० पाण्डे, जिला चिकित्सालय, नैनीताल 63 बैड + बी०डी० पाण्डे, जिला  महिला चिकित्सालय, नैनीताल 65 बैड)</p>
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. हाइ कोर्ट डिस्पेंसरी 2. टी०बी०क्लीनिक-हल्द्वानी  2. क्षयरोगाश्रम, नैनीताल 4. क्षयरोगाश्रम, भवाली  5. हल्द्वानी (51 से 100 बैड)  (महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी)</p>
7	कार्यालय	<p>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय  2. कार्यालय सम्मानीय प्रशिक्षण केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मोतीनगर, हल्द्वानी  3. मण्डलीय निदेशक कार्यालय, नैनीताल</p>

## जनपद – अल्मोड़ा

क्र०	आईपीएचएस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आईपीएचएस० मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - ५ (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में ०४ बैंड)	<p>1. चितई 2. भेहला 3. देवीधल 4. जसकोट 5. शाहरफाटक 6. बाराकोट 7. खेती 8. दन्धा 9. नैनी            10. चलनीछीना 11. बसौली 12. मानान 13. भैसडाँव 14. चनौदा 15. कनारीछीना 16. धौलठीना            17. डीगा 18. चौनापाखुड़ा 19. सिलोरमहादेव 20. पिलखोली 21. बासुलीसेरा- 22. मजाखाली            23. भनोली 24. असगोली 25. सुरझेखेत 26. कफड़ा 27. गोटी 28. धामदेल 29. बरकिञ्चा 30. मण्डेड            31. पैसिया 32. चनोली 33. नैल 34. सराईखेत 35. उदयपुर 36. बाजन शिकियासैन 37. पाली 38.            सिनोडाङ्ग 39. उत्तमछानी 40. दौलाघाट 41. धामस 42. ध्याडी 43. भनोली 44. पुन्धानौला 45. बाडेछीना 46.            नौधर 47. जाली 48. बिना 49. जौरासी 50. मासी 51. भौनखाल 52. मानिला 53. सैणमानुर 54.            स्याल्टे 55. स्यालकोट 56. विनायक 57. भाटनथालपुलु 58. एन०टी०डी० 59. सोमेश्वर</p>
2	स्वास्थ्य केंद्र टाईप- बी (प्रत्येक चिकित्सा इकाई में ०४ बैंड)	<p>1. हवालबाग 2. भैसियाछाना 3. ताफुला 4. ताड़ीखेत 5. चमड़खान 6. भतरोजखान 7. काकड़ीधाट</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (३० बैंड)</p> <p>1. द्वाराहाट 2. चौखुटिया 3. भिकियासैण 4. धौलादेवी</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(१० बैंड)</p> <p>1. लेमगाड़ा 2. देवापाल 3. देवापाल सल्ट 4. शालंगी (उपराडी) 5. जैती</p>
4	उप जिला चिकित्सालय	<p>1. रानीखेत (५१- १०० बैंड) (जी०एस०माहरा, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रानीखेत ९० बैंड + ट्रामा सेंटर, रानीखेत १५ बैंड)</p> <p>2. अल्मोड़ा (३०० बैंड) (बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा २०० बैंड + ट्रामा सेंटर, अल्मोड़ा १५ बैंड)</p>
5	जिला चिकित्सालय	<p>1. अल्मोड़ा (२०० बैंड ) (जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा ७४ बैंड + जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा ६९ बैंड)</p>
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. टी०बी० जलीनिक, अल्मोड़ा</p>
7	कार्यालय	<p>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय</p>

## जनपद- बागेश्वर

क्र० सं०	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई	आई०पी०एच०एस० मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - ५	<p>1. सानितिहिंगर 2. कमेडीदेवी 3. धिंघारतोला 4. रवाइखाल 5. खत्तोली 6. खाती 7. घोटी 8. घोनाई 9. चण्डूला 10. बोहला 11. उधमस्थल 12. लाङ्स 13. जलमानी 14. खातीगाँव 15. काफलीगाँव 16. पालडीछीना 17. वनलेख 18. कन्धार 19. छानी 20. जर्खेड 21. भामा 22. फरसाली 23. लोहारखेत 24. पोथिंग 25. दोफाड 26. जाख एवं नैकाना खुमटिया के मध्य</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप- बी	<p>1. कौसानी 2. धारीडोबा 3. बदियाकोट</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बैड)</p> <p>1. बैजनाथ 2. कपकोट</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(10 बैड)</p> <p>1. काण्डा</p>
4	उप जिला चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय	बागेश्वर (100 बैड)
5	जिला चिकित्सालय	<p>1. जिला चिकित्सालय बागेश्वर 60 बैड + रामा सेन्टर, बागेश्वर 15 बैड)</p>
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. टी०बी० जलीनिक, बागेश्वर</p>
7	कार्यालय	<p>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर</p>

जनपद- पिथौरागढ़

क्र० सं०	आईपी०एच०एस० मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आईपी०एच०एस० मानकानुसार चिन्हित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप - ए	<p>1. जाखपुराण 2. देवत 3. दिगतोली 4. मठमानले 5. बिनकोट 6. ख्यांकोट 7. सिंगाली 8. आणागांव          9. तीतरी 10. देवलथल 11. छडनदेव 12. चमाली 13. हचीला 14. पनथाली 15. हरडकटिया          16. भुवनेश्वर 17. धरभधर 18. जोबुकाथल 19. बनकोट 20. पोखरी 21. कन्डारछीना 22. रामेश्वर          23. दुम्र 24. बौना 25. उछेती 26. वरीटी 27. दर 28. खेत 29. खेला 30. पॅटू 31. गुंजी          32. जुम्मा 33. पांचू 34. नाकोट 35. झुलाघाट 36. बडावे 37. मागीचौरा 38. अस्कोट 39. मुखानी          40. थल 41. चौडमुन्ना 42. खासीकोट 43. चौरपाल 44. सोसा 45. खुमती 46. ढुनी</p>
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप- बी	<p>1. इग्यारदेवी 2. बडलू 3. कनालीठीना- 4. मूनाकोट 5. तेजम          6. मदकोट 7. गणाई गंगोली (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेजम, मदकोट एवं गणाई गंगोली          10 बैड)</p>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बैड)          1. डीडीहाट 2. गंगोलीहाट 3. मुनस्यारी</p> <p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र(10 बैड)</p> <p>1. बेरीनाग</p>
4	उप जिला चिकित्सालय	<p>धारचुला (31-50 बैड)</p> <p>1. संयुक्त चिकित्सालय, धारचुला (50 बैड)</p>
5	जिला चिकित्सालय	<p>पिथौरागढ़ (200 बैड)          (जिला पुरुष चिकित्सालय, पिथौरागढ़ 120 बैड + जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ 62 बैड)</p>
6	अन्य चिकित्सा इकाई	<p>1. टी०बी० चिकित्सालय 2. टी०बी० कलनिक, पिथौरागढ़</p>
7	कार्यालय	<p>1. मुख्य चिकित्साओषिकारी कार्यालय*</p>

जनपद - चम्पावत

क्र०	आईपीएच0एस0 मानकानुसार चिकित्सा इकाई का नाम	आईपीएच0एस0 मानकानुसार चिह्नित चिकित्सा इकाई
1	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप - ए	1. धौन 2. चल्ही 3. स्वाला 4. सिटी 5. इजडा 6. रेगड़ 7. चौमेल 8. खेतीखान 9. देवधूरा 10. टांड 11. मैंच 12. बनबसा 13. पुलाहिन्डोला 14. पाटी 15. चौडा महेता 16. शिगराडा 17. तामली
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाईप- बी	1. बाराकोट
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	-
4	उप जिला चिकित्सालय	1. लोहाघाट (31-50 बैड) (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट 30 बैड + द्रामा सेन्टर लोहाघाट 15 बैड) 2. टनकपुर (31-50 बैड) (संयुक्त चिकित्सालय, टनकपुर 30 बैड + प्रस्तावित द्रामा सेन्टर, टनकपुर 15 बैड)
5	जिला चिकित्सालय	चम्पावत (100 बैड) जिला चिकित्सालय, चम्पावत (60 बैड)
6	अन्य चिकित्सा इकाई	1. टी0बी0 कलीनिक, चम्पावत
7	कार्यालय	1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय

(मुकेश कुमार राय)  
उप सचिव।